राजस्थान सरकार
गृह विभाग

क्रमांक प.33(2)गृह–9 / 2019 पार्ट

जयपुर दिनांक 01.04.2020

पुलिस आयुक्त,
जयपुर / जोधपुर

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,

विषय :– लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न धर्मो के त्योहार, जयन्ति आदि के अवसर पर धार्मिक सभाओं, जुलूस व झाकियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध बावत्।

संदर्भः– विभागीय समसख्यंक पत्र दिनांक 01.04.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है विभागीय संदर्भित पत्र दिनांक 01.04.2020 द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न धर्मो के त्योहार, जयंती आदि के अवसर पर धार्मिक सभाओं जूलुस व झाकियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में माह अप्रैल में राज्य में मनाये जाने वाले निम्न त्योहार, जयंती आदि के दौरान भी धार्मिक सभाओं, जुलूस, झांकियों आदि को अनुमत नहीं किया जावे एवं पूर्ण प्रतिबन्ध की कडाई से पालना सुनिश्चित की जाये:–

1. दिनांक 09.04.2020 को शब–ए–बारात
2. दिनांक 10.04.2020 को गुड फ्राईडे।
3. महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती।
4. दिनांक 13.04.2020 को बैशाखी।
5. दिनांक 14.04.2020 को अंबेडकर जयंती।

लॉकडाउन के प्रभावी होने के कारण धार्मिक सभा एवं जुलूस, शोभायात्रा व झाकियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

2/4/2020
(एन.एल.मीना)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (इन्टेलीजेन्स), राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक पुलिस रेंज।
5. रक्षित पत्रावली।

2/4/2020
विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with CamScanner